



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मई, 2019-वैशाख 20, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, राफिया आबिद पत्नी श्री सैय्यद आबिद, निवासी-539, गली नं. 10, सदर बाजार, पुलिस स्टेशन केन्ट, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश आम जनता को सूचित करती हूँ कि:-

1. यह कि मैंने मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 29-07-1988 को सैय्यद आबिद से निकाह कर लिया था. यह कि विवाह के पूर्व मेरा नाम ज्योति सिंह पिता स्व. साधु सिंह था. किंतु निकाह के पश्चात् मुस्लिम रिवाज के अनुसार मेरा नाम राफिया आबिद हो गया था एवं समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राफिया आबिद ही दर्ज है.
2. यह कि माननीय कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर के द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 131ए/2014 में पारित निर्णय दिनांक 19/01/2018 के द्वारा यह निर्णीत किया गया कि मेरा तलाक मेरे पति के साथ दिनांक 08-01-2011 को हो चुका है. अतः उक्त परिपेक्ष्य में वर्तमान में सैय्यद आबिद मेरे पति नहीं रह गये हैं. अतः उक्त निर्णय अनुसार अब मैं, पुनः ज्योति सिंह पिता स्व. साधु सिंह हो गई हूँ. अतः समस्त शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों में मुझे ज्योति सिंह पिता स्व. साधु सिंह के नाम से जानने, पहचानने हेतु मैं यह आम सूचना प्रकाशित कर रही हूँ.

पुराना नाम :

(राफिया आबिद)

पत्नी श्री सैय्यद आबिद.

(117-बी.)

नया नाम :

(ज्योति सिंह)

पिता स्व. साधु सिंह,

निवासी-539, गली नं. 10, सदर बाजार,
पुलिस स्टेशन केन्ट, जिला जबलपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे कुछ शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम नारायण प्रसाद वर्मा आ. बाबूलाल वर्मा लिख गया था. जिसे मैं अब परिवर्तित कर दिनेश कुमार वर्मा आ. बाबूलाल वर्मा के नाम से ही जाना व पहचाना जाऊंगा जो कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड व पेन कार्ड में दर्ज है.

पुराना नाम :

(नारायण प्रसाद वर्मा)

(122-बी.)

नया नाम :

(दिनेश कुमार वर्मा)

106, शाहपुरा गाँव हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सुयश कौरव पिता मोहन सिंह कौरव (SUYASH KOURAV S/O MOHAN SINGH KOURAV), निवासी ग्राम रामपुराकलाँ, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम सुयश कुमार कौरव पिता मोहन सिंह कौरव (SUYASH KUMAR KOURAV S/O MOHAN SINGH KOURAV) था. अब मैंने मेरा नाम बदल कर सुयश कौरव पिता मोहन सिंह कौरव (SUYASH KOURAV S/O MOHAN SINGH KOURAV) कर लिया है. अतः आज दिनांक से मेरे समस्त दस्तावेजों में जहाँ-जहाँ मेरा नाम सुयश कुमार कौरव पिता मोहन सिंह कौरव (SUYASH KUMAR KOURAV S/O MOHAN SINGH KOURAV) दर्ज है. उसे सुयश कौरव पिता मोहन सिंह कौरव पढ़ा जावे तथा मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सुयश कुमार कौरव)

पिता मोहन सिंह कौरव.

(118-बी.)

नया नाम :

(सुयश कौरव)

पिता मोहन सिंह कौरव.

नाम परिवर्तन

मैं, अब्दुल कादिर डोसाजी पिता शब्बीर हुसैन (ABDUL QADIR DOSAJI S/O SHABBIR HUSSAIN), निवासी 154, एम. जी. रोड, नियर घंटाघर रामकृष्णगंज पाँच माला बिल्डिंग, खण्डवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम अब्दुल कादिर पिता शब्बीर हुसैन (ABDUL QADIR S/O SHABBIR HUSSAIN) था. अब मैंने मेरा नाम बदलकर अब्दुल कादिर डोसाजी पिता शब्बीर हुसैन (ABDUL QADIR DOSAJI S/O SHABBIR HUSSAIN) कर लिया है. अतः आज दिनांक से मेरे समस्त दस्तावेजों में जहाँ-जहाँ मेरा नाम अब्दुल कादिर पिता शब्बीर हुसैन (ABDUL QADIR S/O SHABBIR HUSSAIN) दर्ज है. उसे अब्दुल कादिर डोसाजी पिता शब्बीर हुसैन (ABDUL QADIR DOSAJI S/O SHABBIR HUSSAIN) पढ़ा जावे तथा मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अब्दुल कादिर)

(ABDUL QADIR)

(119-बी.)

नया नाम :

(अब्दुल कादिर डोसाजी)

(ABDUL QADIR DOSAJI)

नाम परिवर्तन

मैं, अभय सिंह राठौर पिता अमर सिंह राठौर (ABHAY SINGH RATHORE S/O AMAR SINGH RATHORE), निवासी वार्ड नं. 4, नीलकण्ठेश्वर वार्ड नाकोडा नगर, भण्डारिया रोड, खण्डवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सर्व-साधारण को सूचित करते हैं कि मेरे अवयस्क पुत्र आदित्य सिंह राठौर का पूर्व में नाम अमय सिंह राठौर पिता अभय सिंह राठौर (AMAY SINGH RATHORE S/O ABHAY SINGH RATHORE) था. अब मैंने उसका नाम बदलकर आदित्य सिंह राठौर पिता अभय सिंह राठौर (ADITYA SINGH RATHORE S/O ABHAY SINGH RATHORE) कर दिया है. अतः आज दिनांक से उसके समस्त दस्तावेजों में जहाँ-जहाँ उसका नाम अमय सिंह राठौर पिता अभय सिंह राठौर (AMAY SINGH RATHORE S/O ABHAY SINGH RATHORE) दर्ज है. उसे आदित्य सिंह राठौर पिता अभय सिंह राठौर (ADITYA SINGH RATHORE S/O ABHAY SINGH RATHORE) पढ़ा जावे तथा उसे नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

(120-बी.)

अभय सिंह राठौर,

ABHAY SINGH RATHORE.

नाम परिवर्तन

मैं, अवधेश सिंह किरार सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम सीटू (Seetu) था और वर्तमान में मुझे अवधेश सिंह किरार के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और अवधेश सिंह किरार के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा बचपन का नाम सीटू (Seetu) लिखा गया है. जो कि गलत है अवधेश सिंह किरार एवं सीटू (Seetu) एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम सीटू (Seetu) के स्थान पर अवधेश सिंह किरार लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(सीटू)

(Seetu)

(121-बी.)

नया नाम :

(अवधेश सिंह किरार)

पता-गाँव जौरासी ग्राम आंतरी,
जिला ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का जन्म दिनांक 06-02-2018 को ग्वालियर में कमलाराजा हॉस्पिटल में हुआ था. उस समय मैं मेरा परिवार उसे उसके घर के नाम रूही सेंगर के नाम से पुकारते थे और इसी कारण जन्म प्रमाणपत्र में भी मेरी पुत्री का नाम रूही सेंगर पुत्री शैलेन्द्र सिंह सेंगर अंकित हो गया था. किन्तु मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सानवी सिंह पुत्री श्री शैलेन्द्र सेंगर है. रूही सेंगर व सानवी सिंह एक ही हैं व इस प्रकार मेरी पुत्री को आज के बाद सानवी सिंह के नाम से ही जाना व पुकारा जावे. सभी सूचित हों.

शैलेन्द्र सेंगर (पिता),
मोनिका सेंगर (माँ),
निवासी-माँ वैष्णो पुरम गदाईपुरा,
ग्वालियर (म.प्र.).

(123-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Declare that Old name Jahra E Kalkattawala R/o 6-A, Haji Colony Khajrana, Indore (M.P.) I have changed my name is now known and called as Jahara Ahmed.

Old Name :
(JAHRA E KALKATTAWALA)

New Name :
(JAHARA AHMED)

(127-B.)

CHANGE OF NAME

I, Declare that Old name Najiya Khan R/o 41, Aasha Palace Colony Khajrana, Indore (M.P.) I have changed my name is now known and called as Saba Noor.

Old Name :
(NAJIYA KHAN)

New Name :
(SABA NOOR)

(128-B.)

CHANGE OF SURNAME

I, Declare that Old name Sakina Nazmi, R/o 6-A, Haji Colony Khajrana, Indore (M.P.) I have changed my name is now known and called as Sakina Ahmed.

Old Name :
(SAKINA NAZMI)

New Name :
(SAKINA AHMED)

(129-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, अमर सिंह कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम अमर सिंह था. जो मेरी बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम अमर सिंह अंकित हो गया है. जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम अमर सिंह कुशवाह अंकित है एवं वर्तमान में मुझे अमर सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम अमर सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मेरे बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम अमर सिंह कुशवाह अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :
(अमर सिंह)

नया नाम :
(अमर सिंह कुशवाह)
निवासी-गोल पहाड़िया कुम्हारों का मोहल्ला,
गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).

(130-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रियांशु अग्रवाल सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम राघव अग्रवाल था और वर्तमान में मुझे प्रियांशु अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और प्रियांशु अग्रवाल के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा बचपन का नाम राघव अग्रवाल लिखा गया है जो कि गलत है प्रियांशु अग्रवाल एवं राघव अग्रवाल एक व्यक्ति है। अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम राघव अग्रवाल के स्थान पर प्रियांशु लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :
(राघव अग्रवाल)

(131-बी.)

नया नाम :
(प्रियांशु अग्रवाल)

पता-मधुवन इन्कलेव, सिटी सेन्टर,
ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

मैं, महेश ठाकुर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे बचपन के नाम महेश कुमार एवं महेश वर्मा है जो मेरे वोटर कार्ड, बीमा पॉलिसी एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में अंकित है जबकि मैं वर्तमान में महेश ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम महेश ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा महेश ठाकुर, महेश कुमार, महेश वर्मा ये एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः मेरे वोटर कार्ड, बीमा पॉलिसी, बैंक खाता एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों इत्यादि में मेरा नाम महेश कुमार एवं महेश वर्मा के स्थान पर महेश ठाकुर लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम :
(महेश कुमार, महेश वर्मा)

(134-बी.)

नया नाम :

(महेश ठाकुर)

पुराने थाने के पीछे बड़ा बाजार,
गोहद, जिला भिण्ड.

CHANGE OF NAME

I, Neelam Dwivedi W/o Satish Dwivedi declare that the spelling of my daughter name has been wrongly entered as Mohini Dwedi mother name is Neelam Diwedi and father name is Satish Dwedi. Whereas his correct name is Mohini Dwivedi mother name is Neelam Dwivedi and father name is Satish Dwivedi.

(135-B.)

NEELAM DWIVEDI.**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र रोहित चौधरी जो जन्म के बाद से नाना-नानी के यहाँ निवासरत् होकर पला-बड़ा होने से श्री कसेरा बाजार विधा निकेतन स्कूल, इन्दौर में प्रवेश के समय मेरे पुत्र का नाम रोहित चौधरी एवं पिता के नाम के स्थान पर त्रुटि व भूलवश नाना का नाम मोहनलाल चौधरी (Mohanlal Choudhary) अंकित हो गया था। जिसे बदलकर पिता का नाम राजेश पटेल कर लिया है। अतः भविष्य में मेरे पुत्र रोहित चौधरी के पिता के नाम के स्थान पर राजेश पटेल (Rajesh Patel) पढ़ा जावे। सो विदित होवे।

पुराना नाम :
(मोहनलाल चौधरी)

(137-बी.)

नया नाम :

(राजेश पटेल)

ग्राम-नागपुर, तहसील-सांवेर,
जिला-इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिषेक जैन पुत्र श्री अनिल कुमार जैन मेरा जन्म के समय बर्थ सर्टिफिकेट में मेरा नाम अभि जैन था। किन्तु अब मैंने अपना नाम अभि जैन के स्थान पर अभिषेक जैन रख लिया है जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में अंकित है। अतः अब मुझे भविष्य में अभिषेक जैन के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावें।

पुराना नाम :
(अभि जैन)

(139-बी.)

नया नाम :

(अभिषेक जैन)

पुत्र-श्री अनिल कुमार जैन,
निवासी-सफायर होम 305-बी, ब्लॉक साइट नं. 1,
सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, गंगाधर चौधरी सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम गंगाधर था. जो मेरी बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम गंगाधर अंकित हो गया है. जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम गंगाधर चौधरी अंकित है एवं वर्तमान में मुझे गंगाधर चौधरी के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम गंगाधर चौधरी के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मेरे बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम गंगाधर चौधरी अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :
(गंगाधर)

(140-बी.)

नया नाम :

(गंगाधर चौधरी)

निवासी-करोली माता का मंदिर,
मेहलगौव, ग्वालियर.

CHANGE OF NAME

I, Lalita Rangnekar D/o Vishwanath Rangnekar hereby declare that after my marriage on 01-10-1979, I have changed my name as Runa Belgamkar W/o Prakash Vasant Belgamkar. Thereafter and henceforth I, am Known as Runa Belgamkar W/o Prakash Vasant Belgamkar.

Old Name :

(LALITA RANGNEKAR)

D/o Shri Vishwanath Rangnekar.

(141-B.)

New Name :

(RUNA BELGAMKAR)

W/o Prakash Vasant Belgamkar,
Add:-A/31, Adarsh Nagar, Hoshangabad Road,
Bhopal (M.P.) 462026.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स साईं पाईप्स स्थित जगदीश कॉलोनी गुना मध्यप्रदेश है जिसका पंजीयन क्र. 02/40/01/00098/10, दिनांक 24-07-2010 है जिसमें दिनांक 31-03-2019 को भागीदार श्री भगवत सिंह रघुवंशी पुत्र श्री गोपाल सिंह रघुवंशी, निवासी जगदीश कॉलोनी गुना मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

फर्म-मैसर्स साईं पाईप्स,

ब्रजेश सिंह रघुवंशी,

(भागीदार)

जगदीश कॉलोनी, गुना (म.प्र.).

(132-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स ड्रीमलैण्ड बिल्डर्स, सी-171, शाहपुरा, भोपाल (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00337/10, दिनांक 11-11-2010 से पंजीयत है. जिसमें दिनांक 23-06-2018 को (1) श्री वीरेन्द्र सिंह रघुवंशी आत्मज स्वश्री नारायण सिंह, (2) श्री अमित सिंह रघुवंशी आत्मज श्री महेन्द्र सिंह रघुवंशी, (3) श्रीमती नीता रघुवंशी पत्नी श्री अमित सिंह रघुवंशी अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं. एवं इसी दिनांक को 23-06-2018 से श्रीमती प्रियंका रघुवंशी पत्नी श्री नितिन रघुवंशी नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही हैं आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स ड्रीमलैण्ड बिल्डर्स,

नितिन रघुवंशी,

सूर्यप्रताप सिंह रघुवंशी,

विभा रघुवंशी,

वर्तमान भागीदार.

(124-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स तिरूपति एसोसियेट भागीदारी फर्म के रूप में पंजीयक कार्यालय फर्म एवं संस्थायें भोपाल से दिनांक 15-04-2005 द्वारा पंजीयत फर्म है. उक्त फर्म का निर्माण देवेन्द्र तिवारी पुत्र आर. डी. तिवारी, 2. धमेन्द्र तिवारी पुत्र आर. डी. तिवारी द्वारा साझेदारी विलेख दिनांक 01-04-2001 के अंतर्गत हुआ है. दिनांक 01-04-2004 को उक्त फर्म में श्री अरविन्द राकेश शर्मा

पुत्र आर. डी. शर्मा नये भागीदार/साझेदार के रूप में सम्मिलित हुये. दिनांक 17-12-2005 को उक्त फर्म से देवेन्द्र तिवारी पुत्र आर. डी. तिवारी एवं अरविन्द राकेश शर्मा पुत्र आर. डी. शर्मा, सेवानिवृत्त हुये उनके स्थान पर राजीव मित्तल पुत्र किशन लाल मित्तल नये भागीदार/साझेदार फर्म में सम्मिलित हुये. दिनांक 01-04-2007 को उक्त फर्म से राजीव मित्तल पुत्र किशनलाल मित्तल सेवानिवृत्त हुये उनके स्थान पर निष्ठा तिवारी पत्नी धमेन्द्र तिवारी उक्त फर्म में भागीदार/साझेदार के रूप में सम्मिलित हुई. अस्तु वर्तमान में धमेन्द्र तिवारी पुत्र आर. डी. तिवारी एवं निष्ठा तिवारी पत्नी धमेन्द्र तिवारी उक्त मेसर्स तिरुपति एसोसियेट के पचास-पचास प्रतिशत के भागीदार हैं. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के पालनार्थ सर्व-साधारण को सूचित एवं रिकार्ड में लेने हेतु.

द्वारा-मैसर्स तिरुपति एसोसियेट,
धमेन्द्र तिवारी, निष्ठा तिवारी,
(भागीदार).

(142-बी.)

PUBLIC NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

This is to notify that Smt. Pratiksha Tongia w/o Shri Rajesh Tongia retired from the Partnership Firm M/s. Anchal Designers, 16-H-1 Sch. No. 71-A, Indore (M.P). w.e.f. 21-11-2017.

The constitution of the firm stands altered accordingly.

For M/s Anchal Designers,
RATNESH TONGIA,
(Partner).

(125-B.)

आम सूचना

फर्म महाकौशल गैसोलिन इंटरप्राइजेज के भागीदारी की रचना में दिनांक 23-04-2019 से परिवर्तन कर श्री प्रियेश अग्रवाल सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, उम्र 39 वर्ष, निवासी 1644-48, नेपियर टाउन, जबलपुर को सम्मिलित किया गया है एवं श्री प्रतीक अग्रवाल सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, उम्र 32 वर्ष, निवासी 1644-48, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा रिटायरमेंट लिया गया है. अतः फर्म में वर्तमान में कार्यरत भागीदार श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल एवं श्री प्रियेश अग्रवाल हैं एवं फर्म का वर्तमान पता 1644/2, नेपियर टाउन, जबलपुर है.

आशीष नेमा,
(अधिवक्ता)

पता- फर्स्ट फ्लोर, पटेल मार्किट,
रानीताल चौक, जबलपुर.

(126-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s D & P Associates, पता-33, राज मन्दिर परिसर, नीमच मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 07/34/01/0064/18, दिनांक 20-09-2018 है. जिसमें दिनांक 06-04-2019 को दोनों भागीदारों की आपसी सहमति से भागीदारी फर्म विघटन की जा रही है. भागीदारी फर्म विघटन होने के पश्चात किसी भी प्रकार का दायित्व भविष्य में भागीदारों पर नहीं रहेगा.

M/s D & P Associates,
धर्मेन्द्र परिहार,
पियुष,
(Partner).

(133-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि M/s SHRI HATHIVAN TECHNOPLAST फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक 01/04/04/0146/17, दिनांक 07-06-2017 पर पंजीयन है व जिसका पंजीकृत पता-21-एच पीलुखेडी इंडस्ट्रीयल एरिया, नरसिंहगढ़, राजगढ़ मध्यप्रदेश है तथा पंजीयन के समय 1 श्रीमती नीरजा पाटील पत्नी श्री दिलीप कुमार पाटील, 2 श्री मनोज कुमार सोनी पुत्र श्री गया प्रसाद सोनी

भागीदार की हैसियत से कार्य कर रहे थे यह कि भागीदार क्र. 2 श्री मनोज कुमार सोनी पुत्र श्री गया प्रसाद सोनी स्वयं की इच्छा से दिनांक 01-04-2019 को फर्म की भागीदारी से पृथक हो गये हैं एवं उनके स्थान पर दिलीप कुमार पाटील पुत्र श्री नरसिंह राव पाटील को नये भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है।

M/s Shri Hathivan Technoplast,

नीरजा पाटील,

(भागीदार)

पता-21 एच, पीलुखेड़ी इंडस्ट्रीयल एरिया,
नरसिंहगढ़, राजगढ़ (म.प्र.).

(136-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आस्था किसान सेवा केन्द्र फर्म एवं सोसायटी कार्यालय में पंजीयन क्रमांक 01/05/01/0530/17, दिनांक 27-03-2017 को पंजीकृत की गई थी. उक्त फर्म से दिनांक 01-04-2019 को श्रीमती राधिका वर्मा स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गई है. अब फर्म श्रीमती वर्षा ताम्रकार की प्रोप्राइटी फर्म हो गई है.

मैसर्स आस्था किसान सेवा केन्द्र,

वर्षा ताम्रकार,

(भागीदार)

(138-बी.)

(इंडियन ऑयल पंप) सिरनोटा जिला-विदिशा.

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़

टीकमगढ़, दिनांक 05 जनवरी, 2019

क्र.-01/व.लि./5ए-2/2019.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एच-3-2 1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 के अनुक्रम में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-चार की कण्डिका 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वर्ष 2019 में टीकमगढ़ जिले के लिए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं:-

क्रमांक	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	पर्व (त्यौहार)
1.	15 जनवरी, 2019	मंगलवार	मकर संक्रांति
2.	22 मार्च, 2019	शुक्रवार	भाई दोज (होली का दूसरा दिन)
3.	29 अक्टूबर, 2019	मंगलवार	भाई दोज (दीपावली)

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय, उप-कोषालय पर लागू नहीं होंगे. यह आदेश निगोसिएवल इन्टूमेन्ट्स एक्ट के अन्तर्गत लागू नहीं होगा.

सौरभ कुमार सुमन,

कलेक्टर.

(312)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

प्र.क्र.02/बी-113/19-20.

विदिशा, दिनांक 22 अप्रैल, 2019

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

आवेदकगण श्री श्यामबिहारी पुत्र श्री हीरालाल भार्गव एवं अन्य-13 समस्त निवासीगण विदिशा द्वारा मानव सेवा न्यास का लोक न्यास के गठन करने हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 मई, 2019 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दें, जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 20 मई, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई भी न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम व पता : मानव सेवा न्यास जिला चिकित्सालय के सामने, विदिशा.

चल सम्पत्ति

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. फ्रिज नग 1 | लगभग मूल्य 10,000/- रु. |
| 2. टेबिल नग 4 | लगभग मूल्य 4000/- रु. |
| 3. कुर्सियां नग 25 | लगभग मूल्य 11,000/- रु. |
| 4. बाल्टी माग्गे 4 | लगभग मूल्य 1000/- रु. |
| 5. भोजन बनाने की परात नग 4 | लगभग मूल्य 1000/- रु. |
| 6. कढ़ाई नग 4 | लगभग मूल्य 500/- रु. |
| 7. गिलास नग 40 | लगभग मूल्य 100/- रु. |
| 8. बैठने की टाट पट्टी नग 4 | लगभग मूल्य 500/- रु. |
| 9. ट्राईसिकल नग 1 | लगभग मूल्य 6,000/- रु. |
| 10. पंखे नग 8 (स्लिंग फेन) | लगभग मूल्य 8,000/- रु. |
| 11. चादरें नग 4 | लगभग मूल्य 500/- रु. |
| 12. विस्तर नग 5 | लगभग मूल्य 1000/- रु. |
| 13. लोहे की टंकी नग 4 | लगभग मूल्य 6,000/- रु. |
| 14. सी. सी. टी. वी. कैमरे नग 4 | लगभग मूल्य 18,000/- रु. |
| 15. लोहे की अलमारी नग 5 | लगभग मूल्य 5,000/- रु. |

अचल सम्पत्ति

- शासकीय जिला अस्पताल के सामने स्थित भूमि 743.82 वर्गमीटर में स्थित एक मंजिल भवन इसमें 396.21 वर्गमीटर निर्मित.
- प्रसूति गृह के बाहर 10 फीट वाय 8 फिट भूमि में पक्की प्याऊ निर्मित.

(313)

प्रवीण प्रजापति,
उपखण्ड अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक लोक न्यास, रायसेन

प्रारूप-3 नियम-4

1. लोकन्यास के मामले में न्यास का पूरा नाम और पता:-

छोले वाली दुर्गा माता मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर एवं शंकर महादेव मंदिर खण्डेरा स्मृति न्यास, तहसील व जिला रायसेन का पंजीयन बावत्.

में, रघुवीर सिंह बघेल, निवासी ग्राम खण्डेरा, तहसील व जिला रायसेन प्रमुख न्यासी रायसेन का होकर उपरोक्त न्यास का न्यासधारी मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अधीन उपरोक्त लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूँ:-

2. न्यास का विवरण निम्नानुसार है:-

लोक न्यास की संपत्ति स्वरूप एवं उद्देश्य:- ग्राम खण्डेरा, तहसील व जिला रायसेन स्थित छोले वाली दुर्गामाता मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर एवं शंकर महादेव मंदिर ग्राम खण्डेरा में स्थित है तथा उक्त मंदिर काफी प्राचीन है। जिसे ग्राम के पूर्वजों द्वारा संजोकर रखा हुआ है एवं मंदिर की संपत्ति एवं मूर्ति तथा मंदिर सार्वजनिक हिन्दू समाज की पूजा-अर्चना के लिये लोक न्यास का स्वरूप प्रदान करता है। मेरे जीवनकाल में इस लोक न्यास की व्यवस्था निर्माण कार्य, विकास तथा समस्त कार्य सार्वजनिक सहयोग से करने हेतु यह लोक न्यास हिन्दू धर्मावलम्बियों के द्वारा पूजा-अर्चना हेतु सार्वजनिक रूप से खुला रहेगा लोक न्यास का उद्देश्य हिन्दू धर्म-संस्कृति तथा शिक्षा का विकास एवं समाज सेवा करना होगा। इस लोक न्यास द्वारा समय-समय पर मंदिर परिसर में नव-निर्माण एवं मंदिर का निर्माण करने के संबंध में समस्त कार्य वैदिक पद्धति अनुसार किये जायेंगे।

3. वह स्थान जहां लोक न्यास का कार्यालय स्थित है:-

छोले वाली दुर्गा माता मंदिर खण्डेरा, ग्राम खण्डेरा, तहसील जिला रायसेन.

4. न्यास के अध्यक्ष, कार्यकारी, न्यासधारी व प्रमुख न्यासी का नाम व पूरा पता:-

1. कलेक्टर रायसेन	अध्यक्ष
1. मलखानसिंह मीणा, निवासी ग्राम सगोनिया	उपाध्यक्ष
2. खिलानसिंह बघेल, निवासी विसनखेड़ी	
3. रघुवीर सिंह मीणा, निवासी ग्राम गमीरी	
1. जगन्नाथ सिंह बघेल, निवासी खण्डेरा	सचिव
1. देव किशन शर्मा, निवासी सांचेत	सह सचिव
1. खैमराज सिंह बघेल, निवासी खण्डेरा	कोषाध्यक्ष
1. गजराज सिंह, निवासी डावर	कार्य कारणी सदस्य
2. दशरथ सिंह, निवासी डावर	
3. जीवन सिंह लोधी, निवासी सिसौदा	
4. सुगरन सिंह, निवासी ग्राम गुदावल	
5. मनमोहन चौकसे, निवासी ग्राम नरवर	
6. चैनसिंह मीणा, निवासी ग्राम मुंगालिया	
7. वृजेन्द्र सिंह कुशवाह, निवासी ग्राम पटी	
8. कालूराम विश्वकर्मा, निवासी ग्राम नकतरा	
9. दीवनसिंह बघेल, निवासी ग्राम नरवर	
10. अमानसिंह बघेल, निवासी ग्राम खैजड़ा	
11. वृजेश नारायण शर्मा, निवासी ग्राम कुरावत	

5. प्रमुख न्यासी का व्यवस्थापक एवं सदस्यगण के रिक्त पदों की पूर्ति विषयक नियम प्रमुख न्यासी व्यवस्थापक या उपरोक्त अन्य उपरोक्त पदाधिकारी तथा सदस्यगण के द्वारा त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु के कारण रिक्त हुये पद की पूर्ति तीन माह के अंदर सदस्यगण बहुमत के आधार पर प्रमुख न्यासी का चुनाव करेंगे एवं इसी प्रकार अन्य पदाधिकारी व सदस्यगण की नियुक्ति पद रिक्त होने पर बहुमत के आधार पर करेंगे। नियमित रूप से न्यास के पदाधिकारी व कार्यकारिणी का चुनाव बहुमत के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष में आवश्यक रूप से किया जायेगा एवं निर्वाचन के बाद न्यास के पदाधिकारियों व सदस्यगण की सूची पंजीयक लोकन्यास महोदय रायसेन को भेजना होगी। मंदिर के पुजारी की व्यवस्था सदस्यगण व कार्यकारिणी के द्वारा की जावेगी बहुमत के आधार पर मंदिर के पुजारी की नियुक्ति व उसका वेतन व उसके पद से अलग करने का अधिकार होगा।

6. न्यास किस्त से संबंधित कोई योजना हो तो:-

मंदिर परिसर में रिक्त मैदान पर प्रसाद आदि की दुकानें लगती हैं तथा वर्ष में दो बार नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्रित होती है. इस संबंध में ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा एवं दुकानों के संबंध में व्यवस्था की जायेगी तथा प्रसाद आदि की दुकानों से मंदिर ट्रस्ट द्वारा किराया निर्धारित किया जावेगा. जो मंदिर ट्रस्ट में जमा होगा तथा समय-समय पर हिन्दू त्यौहारों पर परिसर में स्थापित राधाकृष्ण मंदिर एवं शंकर महादेव मंदिर में धार्मिक आयोजन सम्पन्न किये जायेंगे. जिसकी व्यवस्था न्यास द्वारा की जायेगी.

7. संपत्ति का विवरण:-

मंदिर परिसर में वर्तमान में मंदिर एवं यज्ञ शाला तथा पुजारी का निवास स्थान एवं एक छोटी धर्मशाला है. जिसका जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है तथा मंदिर के कुछ बर्तन आदि हैं. जो पूजन व भण्डारे के कार्य काम आते हैं.

8. न्यास की आय के साधन:-

जनसहयोग से व दान पेटी में एकत्रित राशि से मंदिर की व्यवस्था संचालित की जाती है.

9. औसत वार्षिक आय:-

मंदिर परिसर में स्थापित मंदिरों से वार्षिक 1 लाख रुपये की आय होती है.

10. वार्षिक औसत व्यय:-

1. पुजारी का परिश्रमिक प्रतिमाह-6000/- रुपये
2. वर्ष भर मंदिर में लगनी वाली पूजन सामग्री:- 10,000/- रुपये.
3. विभिन्न हिन्दू त्यौहारों पर भजन, कीर्तन, सुन्दरकाण्ड, भजन, संध्या आदि पर होने वाला व्यय:-20,000/- रुपये.
कुल व्यय:- 36,000/- रुपये.

11. प्रमुख न्यासी प्रबंधक को न्यास के संबंधित कोई भी सूचना निम्न पते पर प्रेषित की जायेगी:-

रघुवीरसिंह बघेल, निवासी ग्राम खण्डेरा, तहसील व जिला रायसेन.

एल. के. खरे,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(314)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. बी/113/2018-19.

जारी दिनांक 10 अप्रैल, 2019

(नियम पॉच-1 देखिए)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक श्री सकलपंच फुलमाली समाज ट्रस्ट शनवारा, बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष श्री प्रभाकर पिता राजाराम, निवासी न्यू इंदिरा कॉलोनी, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है. कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 25 अप्रैल, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखत कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

श्री सकलपंच फुलमाली समाज ट्रस्ट शनवारा, बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर.

1. वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री प्रभाकर पिता राजाराम, निवासी न्यू इंदिरा कॉलोनी, जिला बुरहानपुर.
2. चल संपत्ति : 1370/-
3. अचल संपत्ति : निरंक

प्रगति वर्मा,

पंजीयक.

(315)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 30 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./19/236.—ऋषि साख सब्जी बीज उत्पा. प्रक्रिया विप. सहकारी समिति मर्या., बिलहरी (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./124, छतरपुर, दिनांक 06 फरवरी, 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एन. एस. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री एन. एस. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स शीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, मुकेश जैन, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, छतरपुर उक्त ऋषि साख सब्जी बीज उत्पा. प्रक्रिया विप. सहकारी समिति मर्या., बिलहरी पंजीयन क्रमांक 1131, छतरपुर, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(317)

छतरपुर, दिनांक 30 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./19/237.—श्री 1008 चतुर्भुज सरकार महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., धामची (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./124, छतरपुर, दिनांक 06 फरवरी, 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एन. एस. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री एन. एस. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स शीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, मुकेश जैन, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, छतरपुर उक्त श्री 1008 चतुर्भुज सरकार महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., धामची पंजीयन क्रमांक 1117, छतरपुर, दिनांक 16 जुलाई, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(318)

छतरपुर, दिनांक 30 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./19/241.—माँ झनझन देवी महिला ईधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./124, छतरपुर, दिनांक 06 फरवरी, 2017 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री एन. एस. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

उक्त संस्था के परिसमापक श्री एन. एस. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स शीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, मुकेश जैन, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, छतरपुर उक्त माँ झनझन देवी महिला ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., छतरपुर पंजीयन क्रमांक 17, छतरपुर, दिनांक 30 जुलाई, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

मुकेश जैन,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(319)

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल

बैतूल, दिनांक 11 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/392—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा 69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/195, दिनांक 20 फरवरी, 2019 द्वारा मुझे तपश्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिचोली पंजीयन क्रमांक 1642, दिनांक 22 नवम्बर, 2010, वि.ख. चिचोली का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त सहकारी संस्था से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्ट्याक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, श्रीमति पूनम सिंह, परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57 (1) सी /ग के अन्तर्गत यह सूचित करती हूँ कि उक्त संस्था से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित हो कर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवे अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

पूनम सिंह,
परिसमापक.

(322)

बैतूल, दिनांक 11 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/393—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा 69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/195, दिनांक 20 फरवरी, 2019 द्वारा मुझे कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्या., मुलताई पंजीयन क्रमांक 1766, दिनांक 25 जुलाई, 2014 वि.ख. मुलताई का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त सहकारी संस्था से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्ट्याक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, एन. एस. धुर्वे, परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57 (1) सी /ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्था से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित हो कर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवे अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

एन. एस. धुर्वे,
परिसमापक.

(323)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल

बैतूल, दिनांक 11 अप्रैल, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/395—कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा 69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/195, दिनांक 20 फरवरी, 2019 द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	वि.ख.
1.	श्री कृष्णा जैविक खाद बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., बोरीखुर्द.	1817/01-09-2015	आमला
2.	जय बजरंग जैविक खाद बीज उत्पा. सह. संस्था. मर्या., परसोडी	1826/06-10-2015	आमला

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड स्टॉक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, राजेश वडयालकर, परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम 57 (1) सी /ग के अन्तर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित हो कर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवे अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे.

राजेश वडयालकर,
परिसमापक.

(324)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	एस कुमार सिनफेब्स सहकारी संस्था मर्या., देवास	839/29-02-1997	1272/25-04-2018

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएँ, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 22 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

प्रेरणा जांभेकर,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(321)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास

कल्पना इन्डस्ट्रीज कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 597, दिनांक 24 नवम्बर, 1986 है, संस्था अध्यक्ष के पत्र क्रमांक दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 अनुसार संस्था बंद होकर अकार्यशील है. जिसके तहत अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 182, दिनांक 12 फरवरी, 2019 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. जिसके जबाब में संस्था का पत्र क्रमांक दिनांक 27 मार्च, 2019 अनुसार संस्था के सदस्य संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था के सदस्यों का ऋण कटौती भी बंद हो गया है. जिसके संबंध में ठहराव प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, मनोज गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कल्पना इन्डस्ट्रीज कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 597, दिनांक 24 नवम्बर, 1986 है, को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री स्वरूप माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

मनोज गुप्ता,
उप-पंजीयक.

(320)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ नियम, 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्था को उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास के द्वारा समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

नाम संस्था	परिसमापन आदेश
कल्पना इन्डस्ट्रीज कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., देवास	456, दिनांक 28 मार्च, 2019

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 अप्रैल, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

स्वरूप माधवाचार्य,
परिसमापक.

(325)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2019-वैशाख 20 शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 05 दिसम्बर, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
2. **जुताई** :- जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, धार, इन्दौर, बड़वानी, खण्डवा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिन्डौरी, छिन्दवाड़ा व सिवनी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **बोनी:**— जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, अलीराजपुर, इन्दौर, खण्डवा, बड़वानी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिन्डौरी, छिन्दवाड़ा व सिवनी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **फसल स्थिति** :-राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में फसल स्थिति सन्तोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है.
5. **कटाई** :- . .
6. **सिंचाई** :-जिला सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरोली, विदिशा, सिहोर, बड़वानी, खरगोन, भोपाल, बैतूल में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **पशुओं की स्थिति:**—राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **चारा** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **बीज:**— राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
10. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनियां मैथी, मटर, मसूर, सोंहा समान (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) सरसों, गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रौन+मिहोना 7. गोरमी 8. मौ				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चीनोर 5. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना अधिक. (2) गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना कम. (2) गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, धनियाँ समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों अधिक. तुअर, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. लवकुशनगर	..				
9. बक्सवाहा	..				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
6. देवेन्द्रनगर	..				
7. अमानगंज	..				
8. सिमरिया	..				
9. रैपुरा	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर कम. (2) तुअर कम.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर, बटरी अधिक. तुअर, चना, गोहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, मटर, अलसी समान. गोहूँ, चना, मसूर, सरसों, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. कोटर	..				
10. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) मसूर अधिक. गोहूँ, चना, अलसी, तुअर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. मनगवां	..				
8. सेमरिया	..				
9. जवा	..				
10. नईगढ़ी	..				
11. रायपुरकचुलियान	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) तुअर, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. जयसिंहनगर	..				
4. बुढ़ार	..				
5. गोहपारू	..				
6. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) गेहूँ कम. राई-सरसों, चना, मसूर, अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) मसूर सुधरी शेष फसलें समान.		
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	14.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	21.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. चंदिया	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	14.5				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..		4. (1) अलसी समान. राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, जौ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. बहरी	..				
7. रामपुरनैकिन	..				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) तुअर अधिक. अलसी समान. गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा	..		4. (1) चना, गेहूँ अधिक. राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर+दलोदा	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	..				
10. संजीत	..				
11. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2 बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4.(1) गेहूँ मटर, अलसी अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		तुअर, चना, सरसों, मसूर	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	..		कम.		
4. जीरन	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.		
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2 जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4.(1) गेहूँ, चना, रावा कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4.(1) चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		गेहूँ, मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2 . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	..		4.(1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	..		(2) . .		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2 . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	..		4.(1) तुअर, चना अधिक. गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		लहसुन, प्याज कम.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2 बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4.(1) तुअर, कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. रामा	. .				
5. झाबुआ	. .				
6. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. उदयगढ़	. .				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) कपास, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. गौतमपुरा	. .				
5. हातोद	. .				
6. महु	. .				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, कपास.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) गेहूँ कम. चना	6. ..	8. ..
2. पुनासा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपालनगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. शमसाबाद	..				
9. त्यौंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		मटर, तिवडा कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) चना, मटर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		तुअर समान. गन्ना,	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	..		गेहूँ, अलसी, मटर, जौ कम.		
4. नसरूल्लागंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) तुअर अधिक. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैसदेही	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) गन्ना अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिम्रनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) तुअर सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराधवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, गन्ना अधिक. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	..				
2. गोटेगांव	..				
3. करेली	..				
4. गाडरवारा	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) तुअर सुधरी हुई. (2) तुअर सुधरी हुई है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	..				
2. नैनपुर	..				
3. बिछिया	..				
4. निवास	..				
5. नारायणगंज	..				
6. घुघरी	..				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
3. बजाग	..				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. तामिया	..				
3. परासिया	..				
4. जामई	..				
5. सोंसर	..				
6. बिछुआ	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. उमरैठ	..				
10. मोहखेड	..				
11. हरई	..				
12. चांद	..				
13. पांडुर्णा	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. बरघाट	..				
3. कुरई	..				
4. केवलारी	..				
5. लखनादोन	..				
6. छपारा	..				
7. धनोरा	..				
8. घंसोर	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ समान. (2) गेहूँ समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. किरनापुर	..				
4. बैहर	..				
5. वारासिवनी	..				
6. कटंगी	..				
7. लालबर्वा	..				
8. तिरोडी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. बिरसा	..				
11. खैरलाँजी	..				

*जिला:- जिला आगर से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(311)